Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

40-2016/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 16, 2016 (PHALGUNA 26, 1937 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 16th March, 2016

No.6-HLA of 2016/10.— The Payment of Wages (Haryana Amendment) Bill, 2016, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 6- HLA of 2016

THE PAYMENT OF WAGES (HARYANA AMENDMENT BILL), 2016

A

BILL

further to amend the Payment of Wages Act, 1936, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Payment of Wages (Haryana Amendment) Act, 2016. Short title.

2. Sub-section (6) of section 1 of the Payment of Wages Act, 1936, (hereinafter called the principal Act, shall be omitted). Amendment of section 1of Central Act 4 of 1936.

3. In the proviso to section 6 of the principal Act,- Amendment of section 6 of Central Act 4 of 1936.

(i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(ii) after the existing proviso, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided further that the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify the industrial establishment, the employers of which shall pay to the persons employed therein, the wages either by cheque or by crediting the wages in their bank account.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the Payment of Wages Act, 1936, is Central Legislation. In sub-section (6) of section 1 the Central Government is competent authority to fix/revise the wage limit of persons employed in industrial establishments. The existing limit of such wage is Rs. 18,000/- per month. There is a provision to review this wage limit after a period of five years. It has been felt that this wage limit needs to be removed in the present scenario as the manufacturing industry in Haryana has been very progressive and the wage levels are usually high. Therefore, with a view to provide remedy to those who are getting wages at higher rate to enable them to agitate their claim in case of delayed payment of wages or illegal deduction from their wages before the statutory Authority appointed under the Act, this amendment has been proposed.

Further it has been also considered to add a second proviso to section 6 of the principal Act to enable the State Government to specify the industrial establishment, the employers of which shall pay to the persons employed therein, the wages in the particular mode of payment.

CAPTAIN ABHIMANYU,
Labour & Employment Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 16th March, 2016.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2016 का विधेयक संख्या 6–एच0एल0ए0

मजदूरी संदाय (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, हरियाणा राज्यार्थ,

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम मदजूरी संदाय (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, की धारा 1 की उप–धारा (6) (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), का लोप कर दिया जाएगा। 1936 के केन्द्रीय अधिनियम 4 की धारा 1 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 6 के परन्तुक में,– 1936 के केन्द्रीय अधिनियम 4 की धारा 6 का संशोधन।

(i) अन्त में विद्यमान "I" के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) विद्यमान परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह और कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा औद्योगिक स्थापना विनिर्दिष्ट कर सकती है, जिसके नियोजन उसमें नियोजित व्यक्तियों को मजदूरी का संदाय या तो चैक द्वारा या उनके बैंक खाते में मजदूरी जमा करके कर सकेंगे।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

वेतन संदाय अधिनियम, 1936 एक केन्द्रीय अधिनियम है। किसी औद्योगिक संस्थान में नियोजन किये हुये किसी व्यक्ति का इस अधिनियम के अन्तर्गत होने के लिए वेतन की सीमायें निश्चित करना/पुनः निर्धारण करने के लिए धारा 6 (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार सक्षम है। इस वेतन सीमा पर पांच वर्ष के बाद पुनः विचार करने के लिए प्रावधान है। वर्तमान दृष्टावली में यह महसूस किया गया है कि यह वेतन सीमा हटा दी जानी चाहिए क्योंकि हरियाणा का उत्पादन उद्योग बहुत प्रगतिशील रहा है और उसमें वेतन की दरें सामान्यता ऊंची हैं। इसलिए जो ऊंची दरों से वेतन ले रहे हैं उन्हें देरी से वेतन, गैर कानूनी कटौती के विवादों के समाधान के लिए अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी के समक्ष दावे प्रस्तुत कर सकें इसके लिए यह संशोधन प्रस्तावित किया गया है।

इसके आगे यह भी विचारा गया कि मुख्य अधिनियम की धारा 6 में एक दूसरा प्रावधान भी किया जाये जिससे राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई औद्योगिक संस्थानों में अपने द्वारा उसमें नियुक्त किये गये व्यक्तियों को एक निश्चित माध्यम से वेतन देना होगा अर्थात् चैक द्वारा अथवा बैंक खाते में जमा करके संदाय करेगा।

कैप्टन अभिमन्यु,
श्रम एवं रोजगार मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 16 मार्च, 2016.

आर0 के0 नांदल,
सचिव।

54151—H.V.S.—H.G.P., Chd.